न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **11/2019** अपील (भू राजस्व)

श्री गमाना पिता भगवाना मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1. श्री नवला पिता परथा मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री उंकार पिता देवा मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती नोजकी पत्नि स्व. श्री देवा मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री कालु पिता परथा मीणा, मृतक के बजायः—
   - 4/1 श्रीमति पूंजकी पत्नि स्व. श्री कालु मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
   - 4/2 श्री लिम्बा पिता स्व. श्री कालु मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
   - 4/3 श्री गोतम पिता स्व. श्री कालु मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
   - 4/4 श्री खाना पिता स्व. श्री कालु मीणा, निवासी धोलिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
   - 4/5 लेरकी पुत्री स्व. श्री कालु मीणा, निवासी गोपालपुरा, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— अपीलार्थी एवं विपक्षीगण स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 02.04.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी गमाना पिता भगवाना मीणा द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी पुश्तैनी भूमि गॉव धोलिया तहसील लसाड़िया में जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2060 में खाता संख्या 129 पर कुल रकबा 39.12 बिघा भूमि

में मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा स्थित होकर दर्ज रहा। 1/2 हिस्से में परथा पिता बोड़ा मीणा दर्ज था। जो बाद में परथा की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसानो के नाम दर्ज नामान्तरकरण में पटवारी हल्का से मिलीभगत कर षड्यंत्र पुर्वक मेरा नाम भी हटा दिया गया। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा तहसीलदार साहब को भी की गई। जिनके द्वारा शुद्धि पत्र से पुनः दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये परन्तु आज दिनांक को दर्ज जमाबन्दी मे शुद्धि पत्र का कोई दाखला नहीं हैं। अतः निवेदन है कि उक्त गलती को दुरूस्त कर मुझ प्रार्थी गमाना पिता भगवाना के नाम खाता संख्या 129 में दर्ज आराजीयात के अनुसार आज तारीख में 1/2 भाग से जमीन पुनः दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपील के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित हितबद्ध पक्षकारानो को तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से विपक्षी संख्या 2, 4/2, 4/3, 4/4 उपस्थित हुए। विपक्षी नवला पिता परथा, नोजकी बेवा देवा, पुंजकी बेवा कालु, लेरकी पुत्री कालु बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहें। जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार लसाड़िया से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। जिनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट की छायाप्रतियॉ संलग्न पत्रावली हैं।

आज दिनांक को अपीलार्थी गमाना एवं विपक्षी संख्या 2, 4/2, 4/3, 4/4 उपस्थित हुए जिन्हे सुना गया। जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि जो गमाना की हक हिस्से की भूमि हैं वह उसके कब्जे में ही हैं। यदि गलती से हमारे खाते में आ गई हो तो पुनः गमाना के नाम दर्ज की जाये तो हमे कोई आपत्ति नहीं हैं।

तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जमाबन्दी 2070 से 2073 में वर्तमान खातेदार नवला, देवा पिता प्रथा, लेरकी लिम्बा गौतम खाना पिता कालिया, पुंजकी पत्नि कालिया 1/2 हिस्सा, उंकार पिता देवा, नोजकी पत्नि देवा 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो दर्ज होने से रहन दर्ज हो गया हैं।

जमाबन्दी रोटेशन प्रोग्राम संवत् 2070 से 2073 में जमाबन्दी फिडींग में सहवन से नवला, देवा, कालु पिता परथा 1/2, उंकार पिता देवा, नोजकी

पत्नि देवा 1/2 हिस्सा बराबर मीणा साकिन कराकली फला खातेदार दर्ज हो गया और गमाना पिता भगवाना मीणा 1/2 दर्ज होन से रह गया। यह जमाबन्दी जॉच होकर दिनांक 11.02.14 को प्रमाणित हुई।

दिनांक 12.07.16 को प्रार्थी को तत्कालीन पटवारी द्वारा संवत् 2070 से 2073 की खाता संख्या 255 की नकल जारी की गई जिसमे जरिये शुद्धि पत्र सम्पूर्ण खाते में नवला, देवा, कालु पिता परथा 1/2, उंकार पिता देवा, नोजकी पत्नि देवा 1/2 के बजाय गमाना पिता भगवाना 1/2, नवला कालु पिता परथा 1/3, उंकार पिता देवा, नोजकी पत्नि स्व. देवा 1/6 मीणा दर्ज करने की स्वीकृति हुई का दाखिला लगी हुई प्रतिलिपि जारी की गई। परन्तु मुल जमाबन्दी में इस शुद्धिपत्र का दाखला नहीं लगाया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट का बाद अवलोकन न्यायालय का मत है कि वादग्रस्त भूमि में गमाना पिता भगवाना मीणा का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहियें। परन्तु कालान्तर में सहवन से विरासत के नामान्तरकरणो में गमाना पिता भगवाना का नाम रोटेशन की जमाबन्दी में दर्ज होने से रह जाने के कारण उसके हिस्से की भूमि वर्तमान में परथा पिता बोड़ा मीणा के विधिक वारीसानो के नाम दर्ज हो गई हैं। जो शुद्धिपत्र से तहसीलदार लसाड़िया द्वारा शुद्धि भी गई। परन्तु मुल जमाबन्दी में शुद्धिपत्र का दाखला नहीं लगा जिस कारण प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं रही हैं। जो नये सिरे से शुद्धिपत्र से पुनः दर्ज होनी चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण पुनः तहसीलदार लसाड़िया को प्रतिप्रेषित किया जाकर लिखा जाता है कि वह मौजा धोलिया, पटवार हल्का धोलिया के संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 255 में पुनः नये सिरे से शुद्धि पत्र से वादग्रस्त भूमि का अंकन गमाना पिता भगवाना 1/2, नवला पिता परथा 1/6, उंकार पिता देवा, नोजकी बेवा देवा 1/6, लेरकी पुत्री कालु लिम्बा, गौतम, खाना पिता कालु पूंजकी पत्नि कालु 1/6 दर्ज किया जावें। उंकार पिता देवा, नोजकी बेवा देवा का केवल 1/6 हिस्सा ही आई सी आई सी आई बैंक के रहन रखा जावें। इसके अलावा राजस्व रेकार्ड में

अन्य किसी खाते में भी अशुद्धि हुई हो तो उसे भी शुद्धि पत्र के माध्यम से तदनुसार दुरूस्त किया जावें।

निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार लसाड़िया एवं उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर